न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 144/2020 (जीसीएमएस नम्बर 2020/00153)

1. रामगोपाल पुत्र रामफूल जाति मीना निवासी कांकरिया तहसील लालसोट जिला दौसा।

—अपीलान्ट

बनाम

1. टीकाराम पि.मु. मूलचन्द जाति मीना निवासी टोंड तहसील बोली जिला सवाई माधोपुर।
2. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील लालसोट जिला दौसा।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा निर्णय दिनांक 29.11.2016 जो प्रकरण संख्या 4/2012 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) उनवानी रामगोपाल बनाम जसोदा पर पारित किया गया है।

उपस्थित :—

1. श्री उमेश गौड, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री सी.एल. मीना, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक—30.12.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला दौसा के निर्णय दिनांक 29.11.2016 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के समक्ष अपीलान्ट रामगोपाल द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) रा.अ.कृ.भू. आवंटन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा ने निर्णय दिनांक 29.11.2016 के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 15.10.1977 के द्वारा ग्राम कांकरिया, तहसील लालसोट स्थित खसरा नम्बर 108 में से 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि का अप्रार्थी संख्या 1 मु0 जसोदा निवासी ग्राम कांकरिया के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश यथावत रखा गया।

3. अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 29.11.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट रामगोपाल पुत्र रामफूल द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा का निर्णय दिनांक 29.11.2016 निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 29.11.2016 विधि, प्रक्रियां, नियम, तथ्य एवं न्याय के सामान्य सिद्वान्तों के विपरीत क्षेत्राधिकार का सम्यक उपयोग किये बिना पारित किया गया है। अधीनस्थ भू—आवंटन सलाहकार समिति लालसोट ने आवंटी मु० जसोदा बेवा मूलचन्द के नाम दिनांक 16.04.1970 को आराजी खसरा नम्बर 108 वाके ग्राम कांकरिया, तहसील लालसोट, जिला दौसा का आवंटन आवंटी मु० जसोदा के पात्र नही होने के बावजूद किया जाकर तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि कारित की थी। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटन आदेश को निरस्त नही फरमाकर कानूनी गलती की है। मु० जसोदा ग्राम कांकरिया की निवासी नही थी। ग्राम कांकरिया में मु० जसोदा का पीहर था। मु० जसोदा ग्राम टोंड, तहसील बोली, जिला सवाईमाधोपुर में ब्याहता थी। मु० जसोदा के पति मूलचन्द के नाम

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

खतौनी संख्या 42 में अंकित 35 बीघा 7 बिस्वा नहरी भूमि में उसका हिस्सा 1/2 खातेदारी में अंकित था एवं खतौनी संख्या 51 में 5 बीघा 9 बिस्वा बारानी भूमि थी। इस प्रकार मु० जसोदा के पति की खातेदारी में 40 बीघा 16 बिस्वा भूमि थी जो स्व० मूलचन्द की मृत्यु के बाद मु० जसोदा व मूलचन्द के दत्तक पुत्र प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम नामान्तरित हुई है। आवंटी मु० जसोदा ने तथ्य को छिपाकर धोखाधडी कर आवंटन आदेश प्राप्त किया है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम टोंड, तहसील बोली, जिला सवाईमाधोपुर की जमाबन्दी खतौनी की प्रतिलिपियां प्रस्तुत की है जो मु० जसोदा आवंटी के भूमिहीन नहीं होने का प्रमाण है। जिस पर ध्यान केन्द्रित किये बिना अधीनस्थ न्यायालय ने खातेदारी भूमि होने के संबंध में कोई साक्ष्य अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं करने का तथ्य प्रश्नगत आदेश में अंकित कर तथ्यात्मक भूल की है।

भू–आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत आवंटन आदेश में आवंटी मु० जसोदा ने अपने को कांकरिया की निवासी बताकर गलत तथ्य आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत कर धोखाधड़ी की थी क्योंकि आवंटी टोंड, तहसील बोली की स्थाई निवासी थी तथा उसकी चल–अचल संपत्ति कृषि भूमियां ग्राम टोंड में स्थित थी। मु० जसोदा के कोई सन्तान नहीं होने के कारण उसने प्रत्यर्थी संख्या एक को दत्तक ग्रहण किया था जो उसकी चल–अचल संपत्ति का स्वामी एवं खातेदारी भूमि का खातेदार है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटन योग्य व्यक्तियों की सूची के नहीं होते हुए भी आवंटी जसोदा के नाम आवंटन आदेश पारित कर अनियमितता की थी। आवंटी मु० जसोदा के नाम इससे पूर्व भी दिनांक 16.04.1970 को इसी खसरा नम्बर 108 में से 8 बीघा भूमि एवं दिनांक 22.09.1987 को खसरा नम्बर 100 में से 3 बीघा भूमि का आवंटन अधीनस्थ आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया जो आवंटन नियमों के विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय था। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश में किया गया यह विवेचन सही नहीं है कि आवंटी को खातेदारी मिल गई थी। आवंटन नियमों के विपरीत हैं क्योंकि आवंटन आदेश भूमिहीन को ही किया जा सकता था। आवंटी भूमिहीन नहीं थी। आवंटी ने तथ्यों को छिपाकर धोखाधडी की है। दिनांक 15.10.1977 का आवंटन आदेश मु० जसोदा ने अपने को मूलचन्द की पुत्री अंकित कर करवाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों को नकारकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) सरसरी तौर पर निरस्त कर अपने क्षेत्राधिकार का सम्यक उपयोग नही किया है। अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2016 निरस्त फरमाने की कृपा करे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की और से अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि मेरी माताजी मु0 जसोदा ग्राम कांकरिया की रहने वाली थी और पति की मृत्यु हो जाने के कारण ग्राम कांकरिया में रह रही थी तथा भूमिहीन होने के कारण ख0नं0 108 स्थित ग्राम कांकरिया में से सन् 1970 में विधिवत आवंटन हुआ था। खसरा नम्बर 108 में से 8 बीघा भूमि दिनांक 16.4.1970 को तथा ख0नं0 108 में से 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि दिनांक 15.10.1977 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा वैध रूप से आवंटन की गई थी। मेरी माताजी का उक्त भूमि पर वास्तविक कब्जा तत्कालीन समय से ही था। मेरी माताजी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे। मेरी माताजी के पति का नाम मूलचन्द है। पुत्री शब्द सहवन से लिखा गया है। सन् 1970 में उनके पति के नाम कोई भूमि नही थी तथा 45 वर्ष पूर्व उनके पति के नाम कोई भूमि होने का ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। मेरी माताजी के नाम वरवक्त आवंटन कोई भूमि नहीं थी उनके द्वारा कोई तथ्य नहीं छिपाये गये हैं। मेरी माताजी के वृद्ध होने व उसकी काश्त करने की क्षमता नहीं रहने के कारण उन्होनें उक्त भूमि को दिनांक 07.05.2004 को श्रीमती कमला धर्मपत्नी कैलाश मीना निवासी कांकरिया व समोदरा धर्मपत्नी घूमसिंह जाति मीना निवासी कांकरिया को विक्रय कर दी गई थी। मेरी माताजी को आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार दस साल बाद ही कानूनन रूप से प्राप्त हो चुके थे। अपीलान्ट का इस आवंटन से कोई ताल्लुक/वास्ता भी नहीं है ना ही वह प्रभावित है। अपीलान्ट की पत्नि कजोडी के नाम भी खसरा नं0 108 में से 10 बीघा भूमि एवं स्वयं के नाम 2 बीघा भूमि आवंटित हुई है और उनके द्वारा आवंटित रकबे से ज्यादा रकबे पर अन्य लोगों

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

की भूमि पर काश्त की जा रही है। अपीलान्ट ने मेरी माताजी की भूमि को हडपने के लिए यह अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुये जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2016 पारित किया गया है, वो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

7. रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2016 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा द्वारा अपने निर्णय में इस तथ्य पर कोई विवेचन नहीं किया गया है कि जसोदा को अपने ससुराल में भूमि प्राप्त हुई अथवा नहीं। अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट के नाम से ग्राम टोंड तहसील बौली जिला सवाईमाधोपुर में भूमि होने संबंधी साक्ष्य स्वरूप जमाबंदी पेश की है जो पत्रावली में संलग्न है। जसोदा के पति के नाम ग्राम टोंड में कितनी भूमि थी। क्या उक्त भूमि में जसोदा का हिस्सा नहीं था ? क्या वह भूमिहीन की श्रेणी में आती थी तथा क्या आवंटन पूर्ण रूप से विधिक प्रक्रिया अपनाकर किया गया था ? प्रकरण में अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा इस सम्बन्ध में अपने निर्णय में कोई विवेचनात्मक एवं निष्कर्षात्मक टिप्पणी अंकित नहीं की गई है। उपरोक्त के आलोक में अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.11.2016 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा को इन निर्देशों के साथ पुनः प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण उभयपक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में विवेचनात्मक एवं निष्कर्षात्मक निर्णय पारित करें। यदि आंवटन में उक्तानुसार बिन्दुओं के आलोक में कोई त्रुटि पायी जाये तो आवंटन निरस्त किया जाकर वादग्रस्त भूमि को राजकीय घोषित करने संबंधी निर्णय पारित किया जावे।

अतः आदेश है कि –अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.11.2016 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा को इन निर्देशों के साथ पुनः प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण उभयपक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में विवेचनात्मक एवं निष्कर्षात्मक निर्णय पारित करें। यदि आंवटन में उक्तानुसार बिन्दुओं के आलोक में कोई त्रुटि पायी जाये तो आवंटन निरस्त किया जाकर वादग्रस्त भूमि को राजकीय घोषित करने संबंधी निर्णय पारित किया जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
(डॉ0 प्रवीण कुमार)
जयपुर
अति0 संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 30.12.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर
जयपुर